# सामान्य प्रशासन विभाग



## रुम नंबर 42 मुख्य कार्यालय सुपेला भिलाई

- शाखा प्रभारी - श्रीमती तुलसीवृन्दा देवांगन कार्यालय अधीक्षक
- छ.ग. शासन द्वारा नगर पालिक निगम भिलाई हेतु स्वीकृत पदसंरचना के अनुसार स्वीकृत, कार्यरत् एवं रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है: -

| क्रं. | श्रेणी | कुल स्वीकृत पद | | | कुल भरे पद | | | कुल रिक्त पद | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | नियमित | सांख्येतर | कुल | नियमित | सांख्येतर | कुल | नियमित | सांख्येतर | कुल |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | I | 20 | - | 20 | 13 | - | 13 | 07 | - | 07 |
| 2 | II | 37 | - | 37 | 22 | - | 22 | 15 | - | 15 |
| 3 | III | 290 | 155 | 445 | 236 | 143 | 379 | 54 | 12 | 66 |
| 4 | IV | 59 | 533 | 592 | 49 | 533 | 582 | 10 | - | 10 |
| कुल योग:- | | **406** | **688** | **1094** | **320** | **676** | **996** | **86** | **12** | **98** |

मुख्य कार्यालय-344, जोन 01-154, जोन 02-113, जोन 03-110, जोन 04-99, जोन 05-40, 77 एम.एल.डी.-08, प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण-31, कार्यभारित/आकस्मिक मद-11, दैनिकवृत्ति -04 कुल कार्यरत् -914 (प्लेसमेंट स्वीकृत-1521 कार्यरत् कुल कार्यरत् -1843 जोनवार/विभागवार)

# सामान्य प्रशासन विभाग



- कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों का स्वरूप:-नगर पालिक निगम, भिलाई में कार्यरत् अधिकारी/कर्मचारी विघटित साडा भिलाई के समय से नियमित, कार्यभारित, आकस्मिक मद एवं दैनिकवृत्ति में कार्यरत् रहते हुए वर्तमान में नियमित पद पर नियुक्ति, पदोन्नति एवं प्रतिनियुक्ति के माध्यम से कार्यरत् है।

- नियुक्ति/पदोन्नति:-छ.ग. शासन के नियमानुसार भर्ती नियम में उल्लेखित वेतनमान 4400 मैट्रिक्स लेबल 10 से वेतनमान 8700 मैट्रिक्स लेबल 15 तक में नियुक्ति/पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान प्रदाय किये जाने के लिए प्रकरण महापौर परिषद् के अधिकारिता के अधीन है तथा न्यूनतम वेतनमान 1300 मैट्रिक्स लेबल 01 से वेतनमान 4300 मैट्रिक्स लेबल 9 तक में नियुक्ति/पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान प्रदाय किये जाने के लिए प्रकरण आयुक्त के अधिकारिता के अधीन है । भर्ती नियम में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार नगर पालिक निगम भिलाई  में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की पात्रता के आधार पर नियुक्ति/पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है ।

# सामान्य प्रशासन विभाग

- पदसंरचना में संशोधन - नगर पालिक निगम, भिलाई हेतु स्वीकृत पदसंरचना में कार्यरत् अधिकारी/कर्मचारियों के पदोन्नति एवं कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त पदों की स्वीकृति एवं भर्ती नियम 2018 में पदों के वर्गीकरण/निर्धारित योग्यता में संशोधन हेतु शासन को पत्र लिखा गया है।
- समयमान वेतनमान – शासन के नियमानुसार नियुक्ति तिथि से 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाता है।
- क्रमोन्नत वेतनमान – शासन के नियमानुसार कार्यभारित/आकस्मिक मद में कार्यरत कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से 17 वर्ष एवं 29 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को में प्रथम/द्वीतीय क्रमोन्नत वेतनमान लाभ प्रदान किया जाता है।
- नियमितीकरण - नगर पालिक निगम, भिलाई में वर्ष 1997 के पश्चात् नियुक्त दैनिकवृत्ति, कार्यभारित एवं आकस्मिक मद कर्मचारियों को नियमित किया जाना शेष है छ.ग. शासन से अनुमति प्राप्त होने पर नियमितीकरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

आवास गृह– नेहरु नगर, 77 ऍम.एल.डी. एवं मदर टेरेसा नगर में निम्नानुसार कर्मचारी आवासगृह निर्मित है:-

| क्रं. | श्रेणी | नेहरु नगर | 77 एम.एल.डी. | मदर टेरेसा नगर | भरे | रिक्त |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | एफ.ए.टाईप | 06 | - | - | भरे | - |
| 2 | जी.टाईप | 12 | 06 | - | भरे | - |
| 3 | एच.ए.टाईप | 20 | - | 12 | भरे | - |
| 4 | आई.टाईप | 06 | 10 | 10 | भरे | - |
| कुल योग:- | | 44 | 16 | 22 | 82 | - |

निर्मित कर्मचारी आवास गृह रिक्त होने पर नगर पालिक निगम भिलाई में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को उनकी पात्रता के आधार पर आवास गृह आबंटित किया जाता है।

# सामान्य प्रशासन विभाग



अनुकम्पा नियुक्ति – नगर पालिक निगम, भिलाई में कार्यरत् शासकीय सेवक के निधन पश्चात् छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक/एफ 7-1/2012/1-3 दिनांक 14.06.2013 द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर निम्नलिखित पात्रताधारी सदस्य को मृतक कर्मचारी के मृत्यु दिनांक से एक माह के भीतर निर्धारित प्रपत्र उपलब्ध कराया जाता है तथा 03 माह के भीतर निर्धारित प्रपत्र भरकर आवेदक से प्राप्त किया जाता है तदपश्चात् आवेदक की योग्यता के आधार पर निगम भिलाई में उपलब्ध रिक्त पदों पर छानबीन समिति के समक्ष प्रकरण विचारार्थ रखकर अनुकम्पा नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है:-

(क) दिवंगत शासकीय सेवक की विधवा/विधुर
(ख) पुत्र/दत्तक पुत्र
(ग) पुत्री/दत्तक पुत्री
(घ) आश्रित विधवा पुत्री/आश्रित दत्तक विधवा पुत्री एवं
(ड.) आश्रित तलाकशुदा पुत्री/आश्रित तलाकशुदा दत्तक पुत्री
(च) पुत्रवधु

# सामान्य प्रशासन विभाग

## नगर पालिक निगम भिलाई

- अविवाहित शासकीय सेवक - मृतक कर्मचारी के माता-पिता की अनुशंसा पर भाई/बहन को पात्रता। अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में छ.ग. शासन द्वारा जारी निर्देश दिनांक 14.06.2013 एवं समय-समय पर जारी निर्देशो के परिपालन में कार्यवाही की जाती है।

- स्थानातंरण - प्रशासकीय व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यालयीन कार्यो के सुचारू रूप से संपादन हेतु उच्चाधिकारियों के निर्देश पर अधिकारी/कर्मचारियों के विभागीय स्थानातंरण की कार्यवाही की जाती है।

- सेवानिवृत्ति - नगर पालिक निगम, भिलाई से जनवरी 2022 से दिसम्बर 2022 तक 66 अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्त होगें। सेवानिवृत्ति पश्चात् उनके स्वत्वों के भुगतान की कार्यवाही भविष्य निधि शाखा एवं पेंशन/उपादान भुगतान की कार्यवाही पेंशन शाखा से पूर्ण किया जावेगा।

# भविष्य निधि शाखा



**रुम नंबर 39 मुख्य कार्यालय सुपेला भिलाई**

## सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ)

- नगर पालिक निगम, भिलाई में सामान्य भविष्य निधि योजनान्तर्गत वर्तमान में 158 अधिकारी/ कर्मचारी कार्यरत हैं। जिनके कटौती का रिकार्ड कर अंतिम भुगतान से संबंधित कार्य भविष्य निधि शाखा से किये जाते हैं।

- निगम में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन से कटौती की गई सामान्य भविष्य निधि की राशि प्रतिमाह आर.टी.जी.एस. के माध्यम से संबंधित कर्मचारी के भविष्य निधि खाता में प्रेषित की जाती है। वर्तमान में नवंबर देय दिसंबर 2021 तक के वेतन से कटौती की राशि प्रेषित की जा चुकी है।

- दिनांक 31.12.2021 तक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्वत्वों जी.पी.एफ.(सामान्य भविष्य निधि) के अंतिम भुगतान हेतु भविष्य निधि शाखा को प्राप्त प्रकरण पर अंतिम भुगतान सेवानिवृत्ति दिनांक को ही पूर्ण जा चुका है।

# भविष्य निधि शाखा



## सामान्य भविष्य निधि (नॉन एनपीएस जीपीएफ)

- नगर पालिक निगम, भिलाई में सामान्य भविष्य निधि योजनान्तर्गत वर्तमान में 551 अधिकारी/ कर्मचारी कार्यरत हैं। जिनके कटौती का रिकार्ड कर अंतिम भुगतान से संबंधित कार्य भविष्य निधि शाखा से किये जाते हैं।

- निगम में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन से कटौती की गई सामान्य भविष्य निधि की राशि प्रतिमाह आर.टी.जी.एस. के माध्यम से संबंधित कर्मचारी के भविष्य निधि खाता में प्रेषित की जाती है। वर्तमान में नवंबर 2021 तक के वेतन से कटौती की राशि प्रेषित की जा चुकी है।

- दिनांक 31.12.2021 तक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्वत्वों जी.पी.एफ.(सामान्य भविष्य निधि) के अंतिम भुगतान हेतु भविष्य निधि शाखा को प्राप्त प्रकरण पर अंतिम भुगतान सेवानिवृत्ति दिनांक को ही पूर्ण जा चुका है।

## नवीन अंशदायी पेंशन योजना

- नगर पालिक निगम, भिलाई में नवीन अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत वर्तमान में 182 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं। जिनके कटौती का रिकार्ड कर अंतिम भुगतान से संबंधित कार्य भविष्य निधि शाखा से किये जाते हैं।
- अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन से कटौती की गई नवीन अंशदायी पेंशन निधि की राशि प्रतिमाह आर.टी.जी.एस. के माध्यम से संचालनालय द्वारा उपलब्ध कराये गये खाता क्र. (एसबीआई-63029837131) में प्रेषित की जाती है। वर्तमान में नवंबर 2021 तक के कटौती की राशि अंशदान सहित प्रेषित की जा चुकी है ।
- उपरोक्त 182 कर्मचारियों में से 27 कर्मचारियों की अनुकंपा नियुक्ति माह नवंबर 2020 में की गई है, उनके प्रान नं आबंटन हेतु नये फार्म की प्रतिपूर्ति कर संचालनालय को उपलब्ध कराया गया है
- नवंबर 2021 तक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्वत्वों (नवीन अंशदायी पेंशन निधि) के अंतिम भुगतान हेतु भविष्य निधि शाखा को प्राप्त प्रकरण पर अंतिम भुगतान से संबंधित प्रकरण तैयार कर पूर्ण किया जा चुका है। दिसंबर 2021 के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के नवीन अंशदायी भविष्य निधि के अंतिम भुगतान से संबंधित प्रकरण तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

## परिवार कल्याण निधि एवं समूह बीमा

- वर्तमान में नवंबर 2021 तक के वेतन से परिवार कल्याण निधि एवं समूह बीमा कटौती की राशि प्रेषित की जा चुकी है।

- नवंबर 2021 तक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिवार कल्याण निधि एवं समूह बीमा के अंतिम भुगतान हेतु भविष्य निधि शाखा को प्राप्त प्रकरण पर अंतिम भुगतान प्रकरण तैयार कर क्रमशः उप संचालक पेंशन, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, नवा रायपुर को प्रेषित किया जा चुका है। दिसंबर के पश्चात् सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रकरण तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

**रुम नंबर 42 मुख्य कार्यालय सुपेला भिलाई**

## पेंशन विभाग

- शाखा प्रभारी - श्रीमती तुलसीवृन्दा देवांगन कार्यालय अधीक्षक
  पेंशन लिपिक-श्री निलेश बागड़े, सहायक राजस्व निरीक्षक
- नगर पालिक निगम, भिलाई से सेवानिवृत्त/मृतक हुए अधिकारी/कर्मचारियों के अवकाश नगदीकरण भुगतान, सी.पी.एफ./जी.पी.एफ.की राशि, परिवार कल्याण, समूह बीमा की राशि के भुगतान के पश्चात् पेंशन/उपादान प्रकरण तैयार करने की कार्यवाही पेंशन शाखा द्वारा की जाती है।

  1. ऐसे नियमित कर्मचारी जिनकी नियुक्ति वर्ष 2004 के पूर्व हुई है इन अधिकारी/कर्मचारियों की पेंशन एवं उपादान प्रकरण तैयार कर संयुक्त संचालक (पेंशन), क्षेत्रीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास दुर्ग (छ.ग.) को प्रेषित की जाती है।

  2. ऐसे कर्मचारी जिन्हें वर्ष 2008 में नियमितीकरण किया गया है उनका पेंशन/परिवार पेंशन तैयार कर स्वीकृति संयुक्त संचालक (पेंशन), क्षेत्रीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास दुर्ग (छ.ग.) को प्रेषित की जाती है।

3. वर्ष 2008 में नियमित हुए अधिकारी/कर्मचारियों के सेवानिवृत्त/निधन उपरान्त उपादान की गणना कर नगर पालिक निगम, भिलाई द्वारा भुगतान किया जाता है।

4. पेंशन/परिवार पेंशन प्रकरण तैयार संयुक्त संचालक (पेंशन) क्षेत्रीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास दुर्ग छ.ग. को प्रेषित की जाती है एवं पेंशन/परिवार पेंशन का भुगतान उप संचालक (पेंशन), संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास नवा रायपुर छ.ग. द्वारा पेंशन/उपादान भुगतान की अंतिम स्वीकृति दी जाती है।

## धन्यावाद